की गई है, वे भूमि के सौदों में लोगों को ठग रहे थे।

(ग) कम्पनी के मुवक्किलों से प्राप्त शिकायतें जिनमें समझौता भंग करने का आरोप लगाया गया है, के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मामले में आगे कार्यवाही की है। लेकिन मालिकों ने अपने परिसरों में पुलिस के प्रवेश करने के विरुद्ध निषेधाज्ञा मांगी है। मामला न्यायाधीन है।

Arms smugglers and terrorists killed on Punjab border

3631. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many arms smugglers and terrorists were killed on the Punjab border during the past three months;

(b) whether it is a fact that in spite of Government's vigilance the smuggling of arms and ammunition in huge quantity is still continuing; and

(c) if so, what kind of permanent measures the Central Government propose to take to completely stop the smuggling of arms and ammunition from Pakistan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) A total number of 42 persons were killed on Punjab-Pakistan border during the period from 1-12-87 to 29-2.88. Since these persons were killed in encounters, it is not possible to say whether they were smugglers or terrorists.

(b) While Government are aware of some smuggling of arms through the border, it has no report that there is large scale clandestine inflow of arms through the border.

(c) The BSF on border are constantly on alert. Night curfew along the border is in force. In order to increase vigilance on the border the Government of India have sanctioned 25 additional Bns. of BSF for Indo-Pakistan border to be raised in a period of 5 years starting from 1986-87.

राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाना

3626. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रम हैं और क्या उन सभी में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं और क्या उन समितियों में गैरसरकारी सदस्यों को नामनिर्देशित किया गया है तथा यदि हां, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन समितियों में ऐसे सदस्यों के कब तक नाम निर्देशित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित उपक्रमों के सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) मंत्रालय के अधीन 9 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र "ग" में स्थित केवल एक उपक्रम को छोड़कर बाकी सभी की अपनी अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अनुदेशों में ऐसी समितियों के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने का प्रावधान नहीं है अपितु इसे सम्बद्ध मंत्रालय के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह कार्यान्वयन समिति की बैठक के लिए अपनी हिन्दी सलाहकार समिति के आसानी, से उपलब्ध गैर सरकारी सदस्य को आमंत्रित करे। इन अनुदेशों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) "क" क्षेत्र में स्थित 5 उपक्रमों में से, भारतीय राज्य व्यापार निगम,